न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / टी0ए0 / 4852 / 2005 / भीलवाडा
अपील / टी0ए0 / 5166 / 2005 / भीलवाडा

फूँदा पुत्र गीला जाति मीणा निवासी काला भाटा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा —अपीलान्ट

बनाम

1—(फौत)रामनारायण पुत्र पेमा जाति मीणा निवासी काला भाटा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा (विधिक उत्तराधिकारीगण)
1 / 1— हगामी बेवा रामनारायण
1 / 2—अम्बा लाल पुत्र रामनारायण
1 / 3—सलोचना पुत्री रामनारायण
1 / 4—फुला पुत्री रामनारायण समस्त जाति मीणा निवासी काला भाटा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
1 / 5—फोफ सिंह पुत्र रामनारायण जाति मीणा निवासी मोहनपुरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

वादी / रैस्पोडेंट

2— प्रेमा पुत्र फूँदालाल जाति मीणा निवासी काला भाटा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा ——रेस्पोडेंट

2—अपील / टीए / 5166 / 2005 / भीलवाडा

फूँदा पुत्र गीला जाति मीणा निवासी काला भाटा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा —अपीलान्ट

बनाम

1—(फौत)रामनारायण पुत्र पेमा जाति मीणा निवासी काला भाटा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा (विधिक उत्तराधिकारीगण)
1 / 1— हगामी बेवा रामनारायण
1 / 2—अम्बा लाल पुत्र रामनारायण
1 / 3—सलोचना पुत्री रामनारायण
1 / 4—फुला पुत्री रामनारायण समस्त जाति मीणा निवासी काला भाटा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
1 / 5—फोफ सिंह पुत्र रामनारायण जाति मीणा निवासी मोहनपुरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

वादी / रैस्पोडेंट

2— प्रेमा पुत्र फूँदालाल जाति मीणा निवासी काला भाटा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा ——रेस्पोडेंट

अपील / टी0ए0 / 4852 / 2005 / भीलवाडा
अपील / टी0ए0 / 5166 / 2005 / भीलवाडा

उपस्थितः–
श्री मदनलाल गुर्जर अधिवक्ता अपीलांट
श्री जगदम्बा माथुर अधिवक्ता रेस्पोडेंट

श्री सूरज भान जैमन, सदस्य
श्री इन्द्र सिंह राव, सदस्य

निर्णय दिनांक 29.06.2018

उपरोक्त दोनो द्वितीय अपीलें अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा के निर्णय दिनांक 6–9–2005 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।

1– दोनों अपीलों के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट वादी संख्या एक ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 92 ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर के समक्ष इन कथनों के साथ पेश किया कि ग्राम केशवबिलास तहसील जहापुर जिला भीलवाडा में अवस्थित आराजी खसरा नम्बर 34 रकबा 1 बहीघा 17 बिस्वा, 35 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 36 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की है एवं आराजी खसरा नम्बर 33 मिन रकबा 15 बिस्वा सरकार बिलानाम तथा आराजी खसरा नम्बर 37 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा स्थित है। उक्त भूमि पर प्रतिवादी दखलन्दाजी कर रहे है। वादी – प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा दखल करने पर पाबन्द कराने का अधिकारी है। दावा पेश होने पर प्रतिवादीगण ने जबाव पेश कर वादी द्वारा दावे में उठाये गये सभी तथ्यों ,कथनों को अस्वीकार किया तथा काउन्टर क्लेम पेश कर बताया कि ग्राम केशवबिलास की आराजी खसरा नम्बर 34 व 35 ,36 वादी के खाते में होना स्वीकार है किन्तु खसरा नम्बर 36 पर वादी का कब्जा नही होकर प्रतिवादीगण का कब्जा है। वादी ने खसरा नम्बर 36 का पंजीयन गलत रुप से किसी अन्य व्यक्ति को खडा करके अपने नाम करावा लिया है। आराजी खसरा नंबर 33 मिन बिलानाम सरकारी भूमि है तथा खसरा नंबर 37 का प्रतिवादी खातेदार है व खसरा 36 व 37 का उपयोग उपभोग प्रतिवीदगण ही करते आ रहे हैं। अन्त में आराजी खसरा नंबर 36 के वादी के नाम अंकन को खारिज कर प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज करने का निवेदन कर उक्त आशय की डिक्री प्रतिवादीगण के पक्ष में जारी करने का निवेदन किया।

2– वादी ने का उन्टरक्लेम का जबावबुलजवाब पेश कर काउन्टर क्लेम खारिज करने की प्रार्थना की। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने प्रतिवादी के अभिकथनों के आधार पर कुल 5 तनकी दादरसी सहित कायम की। वादी के वकील द्वारा पैरवी से इन्कार किये जाने पर वादी का वाद अदम हाजरी व अदम

पैरवी में खारिज कर दिया तदोपरान्त वादी की ओर से अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के समक्ष दावा के अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज होने पर उनकी ओर से एक प्रार्थनापत्र आदेश 9 नियम 9 सीपीसी दिनांक 13–4–04 को पेश कर निवेदन किया कि वादी को सूचना दिये बिना ही वादी के वकील ने दावे को नोटप्रेश किया था। प्रतिवादीगण का यह दायित्व था कि वह वादी को इसकी सूचना देते परन्तु मेरे को बिना सूचना दिये हुए ही दावे को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर काउंनटरक्लेम हेतु शहादत पेश कर बहस की जा कि नियम विरुद्ध है। अतः दावा को पुनः नम्बर पर लिया जाकर वादी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जावे। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को बिना दर्ज रजिस्टर किये अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 19–4–04 के द्वारा प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम विरुद्ध वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को आराजी खसरा नमबर 36 का खातेदार काश्तकार घोाषित कर दिया तथा वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 9 नियम 9 सीपीसी को खारिज कर दिया। जिसके फलस्वरुप अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19–4–04 के विरुद्ध वादी/अपीलांट द्वारा एक अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा के समक्ष प्रस्तुत की। विद्वान अपील अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 6–9–05 के द्वारा अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19–4–04 को निरस्त कर वादी की ओर से प्रस्तुत आर्डर 9 रुल 9सीपीसी के सम्बन्ध में पारित आदेश को निरस्त कर दिया तथा प्रकरण अधीनस्थ परीक्षण न्यायपालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित कर दिया कि अपीलांट/वादी के आर्डर 9 नियम9 के प्रार्थनापत्र पर रेस्पोडेंट/प्रतिवादी से जबाव लिया जाकर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदार किये जाने के बाद ही रेस्पोडेंट/प्रतिवादी के काउन्टर क्लेम पर अन्तिम निर्णय पारित किया जावे। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलांट की ओर से हस्तगत दोनो द्वितीय अपीलें इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

4– दोनो अपीलों में विवाद की विषयवस्तु व पक्षकारान समान होने से इनमें एक साथ बहस सुनी जाकर निर्णय भी एक साथ किया जा रहा है। दोनो अपीलों में अलग अलग निर्णय रखा जावे।

5– अपीलों में उभयपक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

6– विद्वान अभिभाषक अपीलांट का मुख्य तर्क यह है कि विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा दो निर्णयों के विरुद्ध रेस्पोडेंट संख्या एक की ओर से अपीलीय न्यायालय के समक्ष केवल एक अपील पेश की गयी है जो संधारण योग्य नहीं थी फिर भी विद्वान अपील अधिकारी ने इस ओर ध्यान नही देकर अपील को गलत आधारों पर स्वीकार किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त तर्को के समर्थन में 2017 आरआरडी पेज 404 पर मुद्रित निर्णय का उदाहरण पेश किया। उनका यह भी तर्क है कि विद्वान परीक्षण न्यायालय के समक्ष वादी की ओर जो प्रार्थनापत्र आदेश 9नियम 9 सीपीसी पेश किया गया है वह मियाद बाहर पेश किया गया है। लेकिन विद्वान अपीलीय न्यायालय ने मियाद के बिन्दु को बिना निर्णित किये ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो उचित नहीं है। विद्वान

अभिभाषक अपीलांट का यह भी तर्क है कि वादी/रेस्पोडेंट के विरुद्ध अपीलांट ने क्रिमनल मुकदमा दर्ज करवाया था क्योकि खसरा नम्बर 36 का अन्य व्यक्ति उप पंजीयन कार्यालय में खडा कर विक्रय पंजीयन कराया था जिसमें वादी रेस्पोडेंट का भूमि पर कब्जा भी नही था बल्कि अपीलांट का ही कब्जा चला चला आ रहा है। इसलिए काउन्टर क्लेम को उचित तौर पर स्वीकार किया गया था। वादी रेस्पोडेंट ने लापरवाही की थी साक्ष्य भी प्रस्तुत नही की, इसलिए उसका वाद अदम हाजरी (नोट प्रैस) में समुचित तौर पर खारिज हुआ था। इन कारणों से राजस्व अपील अधिकारी का निर्णय दिनांक 6–9–2005 काबिले खारिज है। अन्त में निवेदन किया कि अपील स्वीकार की जाकर विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा का निर्णय दिनांक 6–9–05 निरस्त किया जाकर उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19–4–2004 को यथावत रखा जावे।

7– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रैस्पोडेंट की ओर से अपीलाधीन निर्णय को उचित व कानून सम्मत बताते हुए तर्क दिया कि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने रेस्पोडेंट के विरुद्ध धारा 92 ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा पेश किया। वाद में प्रतिवादीगण/अपीलांट की ओर से काउन्टर क्लेम पेश कर खसरा नंबर 36 के संबंध में खातेदारी की मांग की गयी। उनका आगे मुख्य तर्क यह है कि वादी को बिना सूचित किये ही उनके वकील ने दावे को नोटप्रेस कर अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज करा लिया ,जिसके विरुद्ध वादी की ओर से जानकारी होने पर आदेश 9नियम 9 सीपीसी का प्रार्थनापत्र दावा को पुनः नम्बर पर लेने के लिए पेश किया, जिसकी प्रतिवादी को बिना प्रति दिये व उक्त प्रार्थनापत्र को बिना दर्ज रजिस्टर किये ही काउन्टर क्लेम की पत्रावली के साथ सलग्न कर लिया,जबकि नियमानुसार उक्त प्रार्थनापत्र को अलग से दर्ज रजिस्टर करना चाहिए था। उनका आगे तर्क है कि काउन्टर क्लेम प्रदान करने से पूर्व सीपीसी के तहत जो प्रकियाऐं निर्धारित की हुई है उनकी परीक्षण न्यायालय ने पालना नही की है। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय को चाहिए था कि काउन्टर क्लेम पर कोई निर्णय पारित करने से पूर्व वादी की ओर से प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थनापत्र पर पहले निर्णय पारित करते। वादी/रेस्पेाडेंट की ओर से प्रस्तुत रेस्टोरेशन के प्राथ्रनापत्र के पेण्डिंग रहते हुए परीक्षण न्यायालय ने पहले काउन्टर क्लमे का निर्णय पारित किया है जो त्रुटि पूर्ण है। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से 1998 एआईआर (एससी) पेज 258, डीएनजे 2011(1) पेज 196, डीएनजे 2013 (3)पेज 1275 एचसी, आरआरटी 2009(1) पेज 585, आरआरटी 2003(1)पेज 288, आरआरटी 2003(1)पेज 476 , आरआरडी 1990 पेज 262 एवं आरआरडी1989 पेज 527, के न्यायिक दृष्टान्त उदाहरण दिया।

8– इसके अलावा विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने यह भी तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने तनकीवार निर्णय पारित नही किया है जो कि नोनस्पीकिंग निर्णय है एवं आदेश 9 नियम 9सीपीसी के आदेश के विरुद्ध अपील का प्रावधान नही है और चूँकि दिनांक 19–4–04 का एक ही निर्णय है इसलिए अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष एक ही अपील पेश की गयी थी जो कि कानूनन

उचित है और इन कारणों से अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 6–5–05 में कोई कानूनी त्रुटि नही है। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थनमें 1990 आरआरडी पेज 262 का उदाहरण पेश कर दोनों अपीलों को खारिज करने का निवेदन किया।

9– इसके रिबटल में वकील अपीलांट का तर्क है कि अधीनस्थ परीक्षणन्यायालय ने वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 9नियम9 सीपीसी का निर्णय भी काउन्टर क्लेम के साथ ही कियाजा चुका है और रेस्टोरेशन प्रार्थनापत्र विचाराधीन नही है। ऐसी स्थिति में परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री उचित है।

10– उभयपक्षकारारान के विद्वान अभिभाषकगण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं दोनो पक्षों की ओर से प्रस्तुत कानूनी नजीरों पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट वादी संख्या एक ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 92 ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर के समक्ष पेश किया गया। दावा पेश होने पर प्रतिवादीगण ने जबाव पेश कर वादी द्वारा दावे में उठाये गये सभी तथ्यों ,कथनों को अस्वीकार किया तथा काउन्टर क्लेम पेश कर वादी ने काउन्टर क्लेम का जबावबुल जवाब पेश कर काउन्टर क्लेम खारिज करने की प्रार्थना की। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने प्रतिवादी के अभिकथनों के आधार पर कुल 5 तनकी कायम की। वादी के वकील द्वारा पैरवी से इन्कार किये जाने पर वादी का वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर वादी की ओर से अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के समक्ष दावा के अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज होने पर वादीकी ओर से एक प्रार्थनापत्र आदेश 9नियम9 सीपीसी दिनांक 13–4–04 को वाद को पुनः नम्बर पर लेने का पेश किया गया। चूँकि वादी को सूचना दिये बिना ही वादी के वकील ने दावे को नोटप्रेश किया था तथा दावा खारिज होने से पर प्रतिवादीगण का भी यह दायित्व था कि वह वादी को इसकी सूचना जरिये नोटिस देते , परन्तु बिना सूचना दिये हुए ही दावे को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर काउंनटर क्लेम हेतु शहादत पेश कर बहस की जो कि नियम विरुद्ध है। जबकि दावा को पुनः नम्बर पर लिया जाकर वादी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को बिना दर्ज रजिस्टर किये अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 19–4–04 के द्वारा प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम विरुद्ध वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को आराजी खसरा नंबर 36 का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया तथा वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 9 नियम 9 सीपीसी को खारिज कर दिया। वादी/रेस्पोडेंट का वाद अदम हाजरी में खारिज किया है किन्तु यह भी सही है कि रेस्पोडेंट के काउन्टर क्लेम पर अतिम निर्णय पारित करने से पहले दिनांक 13–4–04 को आदेश 9 नियम 9सीपीसी के तहत प्रार्थनापत्र पेश हो चुका था । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ परीक्षण न्यायालाय के लिये यह आवश्यक था कि उक्त प्रार्थनापत्र की नकल प्रतिवादी को दी जाकर व उससे जबाव प्राप्त कर ही उक्त प्रार्थनापत्र को निर्णित करना चाहिए था।

9— काउन्टर क्लेम का निर्णय दिनांक 19—4—04 का है जिसके खिलाफ वादी / रामनारायण ने राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गयी थी। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 6—9—05 के द्वारा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19—4—04 को अपास्त करने में कोई त्रुटि नही की है क्योकि इस सम्पूर्ण प्रकरण में 5 तनकीयात कायम की गयी थी और वादी ने दस्तावेजात पेश किये हुए थे। यद्यपि वादी का वाद अदम हाजरी में दिनांक 21—4—03 को खारिज हो चुका था फिर भी काउन्टर क्लेम के जबावबुलजबाव में जो तथ्य अंकत किये थे वे सभी दावे में निहित है। अतः जबावबुलजलाव में निहित स्पष्ट किये तथ्यों के समर्थन में वादी रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत अभिलेख पर गौर नही किया जाना एवं तनकी वार निर्णय नही किया जाना कानूनी त्रुटि है। ऐसी स्थिति में दिनांक 19—4—04 का निर्णय राजस्व अपील अधिकारी भीलवाडा द्वारा आरआरडी 1990 पेज 262पर उद्धरित निर्णय की रोशनी में अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर 2017 आरआरडी पेज 405 पर मुद्रित निर्णय से अपीलांट की अपील को समर्थन नही मिलता है। जबकि रेस्पोडेंट की ओर से प्रस्तुत कानूनी नजीरे इस प्रकरण पर चस्पा होती है।

10— अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय की पत्रावली का अवलेकन करने से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय ने तनकीवार निर्णय पारित नही किया है जो कि नोनस्पीकिंग निर्णय है एवं आदेश 9 नियम 9सीपीसी के आदेश के विरुद्ध अपील का प्रावधान नही है और चूँकि दिनांक 19—4—04 का एक ही निर्णय है इसलिए अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष एक ही अपील पेश की गयी थी जो कि कानूनन उचित है और इन कारणों से अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 6—9—2005 में कोई कानूनी त्रुटि नही है। सारांशतः उपरोक्त दोनो द्वितीय अपीलें सारहीन व आधार हीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

11— अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में हस्तगत दोनो द्वितीय अपीलें खारिज की जाती है। राजस्व अपील अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 6—9—2005 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
सदस्य

(सूरज भान जैमन)
सदस्य

.